

0-1116  
02/06/23

पञ्जाब के सग अधिनियम 202

रिपोर्ट पटवारी हल्का शिमारला

जो गिफ्त 23/05/1855 शिमारला के खाता संख्या 185 के खातेदार  
बीसी पत्नी आगीरथ व नारायणी पत्नी गणपत (बिचदि इतिहास)  
जबकी संलग्न दस्तावेजों में (आध्याय कार्ड व नारायण कार्ड)  
बीसी पत्नी गणपत व नारायणी पत्नी आगीरथ के नाम  
उपर उल्लेख किया जाना उचित होगा।

रिपोर्ट भूअनिरीक्षक वृत्त जीरावाल्कर

(Signature)

जो गिफ्त जो मुताबिक पटवारी रिपोर्ट आगीरथ पत्नी व  
आध्याय जूनार्धाद कार्ड के आध्याय पर खातेदार का  
नामा बीसी पत्नी गणपत व नारायणी पत्नी आगीरथ  
दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

LR-3  
07/06/23

रिपोर्ट तहसीलदार, श्रीगाधोपुर

(Signature)  
ILR जीरावाल्कर  
6.6.23

श्रीमान्जी  
मुताबिक रिपोर्ट पटवार हल्का स्व भूअनिरीक्षक के  
ग्राम शिमारला के खाता सं. 185 में खातेदार का नाम **बीसी पत्नी**  
**आगीरथ व नारायणी पत्नी गणपत** अशुद्ध दर्ज है। मुताबिक पटवारी  
रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के आधार पर खातेदारों का नाम  
**बीसी पत्नी गणपत व नारायणी पत्नी आगीरथ** दुरुस्त किया जाना  
उचित है।

आदेश

तहसीलदार (भूअ)  
श्रीगाधोपुर (पिंजौर)

हल्का पटवारी वृ.अ.रि. रिपोर्ट संलग्न दस्तावेज एवं तहसीलदार  
की जांच से पता चला कि बीसी पत्नी आगीरथ व नारायणी पत्नी गणपत  
के स्थान पर बीसी पत्नी गणपत नारायणी पत्नी आगीरथ करवाना चाहिए है। अधिनियम  
नामा सं. 64 (संख्या 2052-55) में दर्ज है। खाते संलग्न नहीं है। ध्यान  
खाते किया जाता है।

पंजाब प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए  
पंजाब प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए  
पंजाब प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिए

तहसीलदार श्रीगाधोपुर के नौकर लोग हेमि नौकरों के नाम पर

